स्वयंसेवकों को कार्य पर नियोजित करने वाले संगठनों हेतु कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा (डब्ल्यूएचएस) के लिए आवश्यक निर्देशिका

This resource kit was developed by Safe Work Australia in conjunction with the Department of Prime Minister and Cabinet Not-for-Profit Reform Council working group. The Working Group was comprised of representatives from peak volunteer organisations:

- Volunteering SA & NT
- Uniting Care Australia
- Anglicare Australia
- The Smith Family
- The Red Cross
- Scouts Australia
- Surf Life Saving Australia, and
- The Australian Sports Commission.

Safe Work Australia acknowledges the contribution of the working group in the development of this important resource for volunteers and the vital role volunteers play in communities around Australia.

ISBN 978-0-642-78557-2 [PDF]

Creative Commons

This copyright work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Australia licence. To view a copy of this licence, visit

http://creativecommons.org

In essence, you are free to copy, communicate and adapt the work for non commercial purposes, as long as you attribute the work to Safe Work Australia and abide by the other licence terms.

सामग्री तालिका

1 परिचय 4

2 WHS कानूनों के तहत किसके कर्तव्य होते हैं? 6

3 आपके संगठन को क्या करने की आवश्यकता है? 11

4 आपके स्वयंसेवकों को क्या करने की आवश्यकता है? 16

5 अधिकारियों के कर्तव्य 17

6 घर से कार्य करने वाले स्वयंसेवक 19

7 आपातकालीन सेवा स्वयंसेवक संगठन 20

8 धमकाना, उत्पीड़न और भेदभाव 22

9 अन्य कानून 23

10 स्वयंसेवक संगठनों के लिए जाँच-सूची 25

1 परिचय

कार्यस्थल पर हर किसी को सुरक्षित रहने का अधिकार है, जिसमें स्वयंसेवक शामिल हैं। स्वयंसेवक ऑस्ट्रेलिया-भर के समुदायों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हरेक दिन कई प्रकार के संगठनों के लिए अवैतनिक कार्य करके महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

यह निर्देशिका एक व्यापार या उपक्रम का संचालन कर रहे व्यक्ति को इस बारे में सूचना प्रदान करती है कि नए कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा [Work Health and Safety (WHS)] कानून स्वयंसेवकों को नियोजित करने वाले संगठनों, स्वयंसेवकों के अधिकारों और दायित्वों पर कैसे लागू होते हैं। यह WHS अधिनियम के तहत कर्मियों को कार्य पर रखने वाले व स्वयंसेवकों को नियोजित करने वाले संगठनों के लिए अपने प्राथमिक कर्तव्यों की एक रूपरेखा प्रदान करती है और यह समझाती है कि वे कैसे इन कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। यह निर्देशिका अन्य उपयोगी संसाधनों को भी संदर्भित करती है, जिनका प्रयोग संगठन अपने कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों को समझने और उन्हें पूरा करने में मदद प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यह निर्देशिका स्वयंसेवक कर्मियों के लिए एक भिन्न निर्देशिका – स्वयंसेवकों के लिए आवश्यक निर्देशिका - को शामिल करने वाले एक संसाधन किट का अंश है।

समन्वित कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून

1 जनवरी 2012 को Australian Capital Territory, New South Wales, Queensland, Northern Territory और Commonwealth ने अपने WHS कानूनों को समन्वित किया। इसका अर्थ यह है कि इन न्याय-क्षेत्रों में किसी व्यापार या उपक्रम (संगठन) का आयोजन करने वाले व्यक्ति और स्वयंसेवकों सहित कर्मी एक ही WHS कानूनों द्वारा संरक्षित हैं। Tasmania इन WHS कानूनों को 1 जनवरी, 2013 से लागू करेगा।

चाहे आप अपने व्यवसाय या उपक्रम को किसी भी न्याय-क्षेत्र में संचालित करते/करती हों, इस निर्देशिका में दी गई जानकारी WHS कानून के तहत आपको अपने स्वयंसेवकों के प्रति आपके संगठन के अधिकारों और दायित्वों को समझने में मदद देगी।

यदि आपका व्यवसाय या उपक्रम पहले से ही आपके न्याय-क्षेत्र में कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन कर रहा है, तो यह बहुत अच्छा है ! ऐसे ही कार्य करते रहें - आपका संगठन सही रास्ते पर है।

इस निर्देशिका में इस्तेमाल किए गए प्रमुख शब्द

इस निर्देशिका में प्रयुक्त किए गए शब्दों में से कुछ शब्दों का WHS कानून के तहत विशेष अर्थ है। इन महत्वपूर्ण शब्दों और उनके अर्थ की एक सूची नीचे प्रदान की गई है।

प्रमुख शब्द	*अर्थ*
किसी व्यापार या उपक्रम का संचालन करने वाला व्यक्ति [Person conducting a business or undertaking (PCBU)]	किसी व्यापार या उपक्रम का संचालन करने वाला व्यक्ति (PCBU) कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा [Work Health and Safety (WHS)] अधिनियम के तहत मुख्य कर्तव्य-धारक होता है। वह आम-तौर पर कार्य-नियोक्ता होता है और वह एक साझेदारी, कंपनी, अनिगमित निकाय या संघ, एकमात्र व्यापारी, सरकारी विभाग या वैधानिक अधिकार हो सकता है। एक स्वयंसेवी संगठन PCBU हो सकता है यदि वह एक या एक से अधिक वेतन पाने वाले कर्मियों को रोजगार देता है। इस संपूर्ण निर्देशिका में एक PCBU को एक*'संगठन'* के रूप में माना गया है।

प्रमुख शब्द	*अर्थ*
यथोचित देखभाल	यह शब्द देखभाल के मानक का वर्णन करता है, जिसे स्वयंसेवकों सहित कर्मियों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। इसका अर्थ वह कार्य करना है जो एक उचित व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार की चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी परिस्थिति में करेगा: • व्यक्ति का ज्ञान • व्यक्ति की भूमिका • व्यक्ति की कुशलताएँ और उसके लिए उपलब्ध संसाधन • व्यक्ति की उपाधियाँ • व्यक्ति के पास क्या जानकारी है, और • इन परिस्थितियों में उसके द्वारा कार्य न करने से स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पड़ने वाले परिणाम।
यथोचित साध्य	इस शब्द का प्रयोग किन्हीं स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों को विशेषीकृत या सीमित करने के लिए किया जाता है। कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के संदर्भ में यदि कुछ यथोचित साध्य है, तो इसका अर्थ यह है कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए कुछ किए जाने की यथोचित सक्षमता है, या किसी विशेष समय पर यह सक्षमता मौजूद थी: • संगत जोखिम या खतरा होने की सँभावना • जोखिम या खतरे के परिणामस्वरूप हो सकने वाले नुकसान की सीमा • जोखिम या खतरे के बारे में संबंधित व्यक्ति क्या जानता है, या उसे यथोचित रूप से क्या पता होना चाहिए, और उस जोखिम का उन्मूलन करने या उसे कम से कम करने के तरीकों के बारे में वह क्या जानता है • खतरे का उन्मूलन करने या उसे कम से कम करने के तरीकों की उपलब्धता और उपयुक्तता, और • खतरे का उन्मूलन करने या उसे कम से कम करने की लागत।
स्वयंसेवक	किसीPCBU के लिए भुगतान या इनाम के बिना काम करने वाला व्यक्ति
स्वयंसेवक संगठन	समुदाय के एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए साथ में काम कर रहे लोगों का एक समूह, जो वेतनीय कर्मियों को काम पर नहीं रखता है। स्वयंसेवक संगठनों को WHS अधिनियम द्वारा कवर नहीं किया जाता है।
कर्मी	कर्मी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी PCBU के लिए किसी भी क्षमता में काम करता है। इसमें स्वयंसेवक के रूप में किया जाने वाला कार्य भी शामिल है।

2 WHS कानूनों के तहत किसके कर्तव्य होते हैं?

संगठन

समन्वित WHS नियमों की यह आवश्यकता है कि वेतनीय कर्मियों को काम पर नियोजित करने वाले संगठन यथोचित साध्य सीमा तक स्वयंसेवकों व अपने कर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करें।

नए WHS कानूनों की यह एक आवश्यकता है कि अधिकाँश संगठन विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन *स्वयंसेवक संगठन* – वे संगठन जो किन्हीं वेतनीय कर्मियों को कार्य पर नियोजित नहीं करते हैं – इन कर्तव्यों से स्वतंत्र होते हैं।

आगे दिए गए फ्लोचार्ट का प्रयोग करके यह पता लगाएं कि क्या आप या आपके संगठन के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्य हैं।

स्वयंसेवकों को नियोजित करने वाले संगठनों के साधारण और सामान्य कानून कर्तव्य अच्छी तरह से स्थापित हैं। ऑस्ट्रेलियाई अदालतों ने काफी समय से इस बात को मान्यता दी है कि जिन लोगों और संगठनों को स्वयंसेवक समर्थन देते हैं, उनका स्वयंसेवकों के प्रति एक सामान्य देखभाल कर्तव्य होता है। इसलिए चाहे आपका संगठन एक स्वयंसेवक संगठन हो और WHS अधिनियम के तहत नहीं आता हो, फिर भी यह एक अच्छा विचार है कि सामान्य कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के कर्तव्यों का पालन किया जाए।

क्या आपको पता है?

स्वास्थ्य और सुरक्षा के कर्तव्य होना पूरी तरह से एक नई बात नहीं है। Queensland, Northern Territory, South Australia और Australian Capital Territory में पिछले व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नियम विशेष रूप से स्वयंसेवकों के लिए लागू होते थे। अन्य न्याय-क्षेत्रों में कार्यस्थल पर अन्य लोगों जैसेकि कार्यस्थल पर आने वाले आगंतुकों व स्वयंसेवकों की सुरक्षा करने का एक कर्तव्य था।

स्थानीय समूहों या विभाजनों के साथ संगठन

किसी संगठन के एक राष्ट्रीय निकाय के तहत राज्य और स्थानीय समूह या विभाजन हो सकते हैं। यदि वह राष्ट्रीय निकाय वेतनीय कर्मियों को काम पर रखता है, तो वह एक PCBU होगा। संगठन का राज्य या स्थानीय समूह या विभाजन भी एक PCBU है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उसे वेतनीय कर्मियों को काम पर रखने वाली एक अलग इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है, भले ही वह एक गैर-इंकॉर्पोरेटिड संगठन हो।

यदि किसी राज्य या स्थानीय समूह या विभाजन को एक PCBU के रूप में पहचाना जाता है और अगर उसे एक स्वयंसेवक संगठन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तो उसके अपने स्वयंसेवकों के प्रति कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्य होंगे। स्वयंसेवक संगठन इससे स्वतंत्र हैं क्योंकि वे पूरी तरह से एक ही समुदाय के उद्देश्य के लिए काम कर रहे स्वयंसेवकों से बने होते हैं, और इसलिए उनके PCBUs के समान कोई भी कर्तव्य नहीं होंगे।

वेतनीय कर्मियों को काम पर रखने के कारण जो राष्ट्रीय निकाय एक PCBU होता है, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति कर्तव्य होंगे। इसमें उन राज्य या स्थानीय समूहों के स्वयंसेवक भी शामिल हैं जो स्वयंसेवक संघ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन स्वयंसेवकों के कार्य राष्ट्रीय निकाय द्वारा निर्देशित या प्रभावित होते हैं। इसी तरह से यदि एक राज्य विभाजन PCBU (क्योंकि वे वेतनीय कर्मियों को काम पर रखता है) है, तो उसके स्थानीय समूहों के स्वयंसेवकों के प्रति भी कर्तव्य उस सीमा तक होंगे जहाँ तक वह किए गए कार्य को निर्देशित या प्रभावित करता है। स्थानीय स्वयंसेवकों के प्रति कर्तव्य इस बात से विशेषीकृत किए जाते हैं कि राष्ट्रीय निकाय या राज्य विभाजन यथोचित साध्य रूप से क्या कर सकते हैं, या यथोचित रूप से क्या किया जाना सक्षम होता है।

जिस सीमा तक कोई कर्तव्य-धारक किसी खास चीज या किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित कर सकता है, वह सीमा इसके लिए प्रासंगिक हो सकती है कि कर्तव्य-धारक द्वारा किसी स्थानीय समूह में उसके लिए काम कर रहे स्वयंसेवकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए यथोचित रूप से क्या करने की उम्मीद की जा सकती है।

उदाहरण के लिए राष्ट्रीय निकाय या राज्य विभाजन अपने कर्मियों की रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन निम्नलिखित के माध्यम से कर सकता है:

- प्रत्येक विभाजन या समूह के लिए अनेकानेक विषयों पर कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं का वितरण सुनिश्चित करना
- राष्ट्रीय निकाय और राज्य व स्थानीय समूहों या विभाजनों के बीच परामर्श को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना करना।

स्वयंसेवकों सहित अपने कर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई PCBU यथोचित साध्य रूप से क्या कर सकता है - यह हर संगठन की विशिष्ट संरचना और परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होगा।

नीचे दिया गया चित्र यह दर्शाता है कि ये कर्तव्य कैसे काम करते हैं।

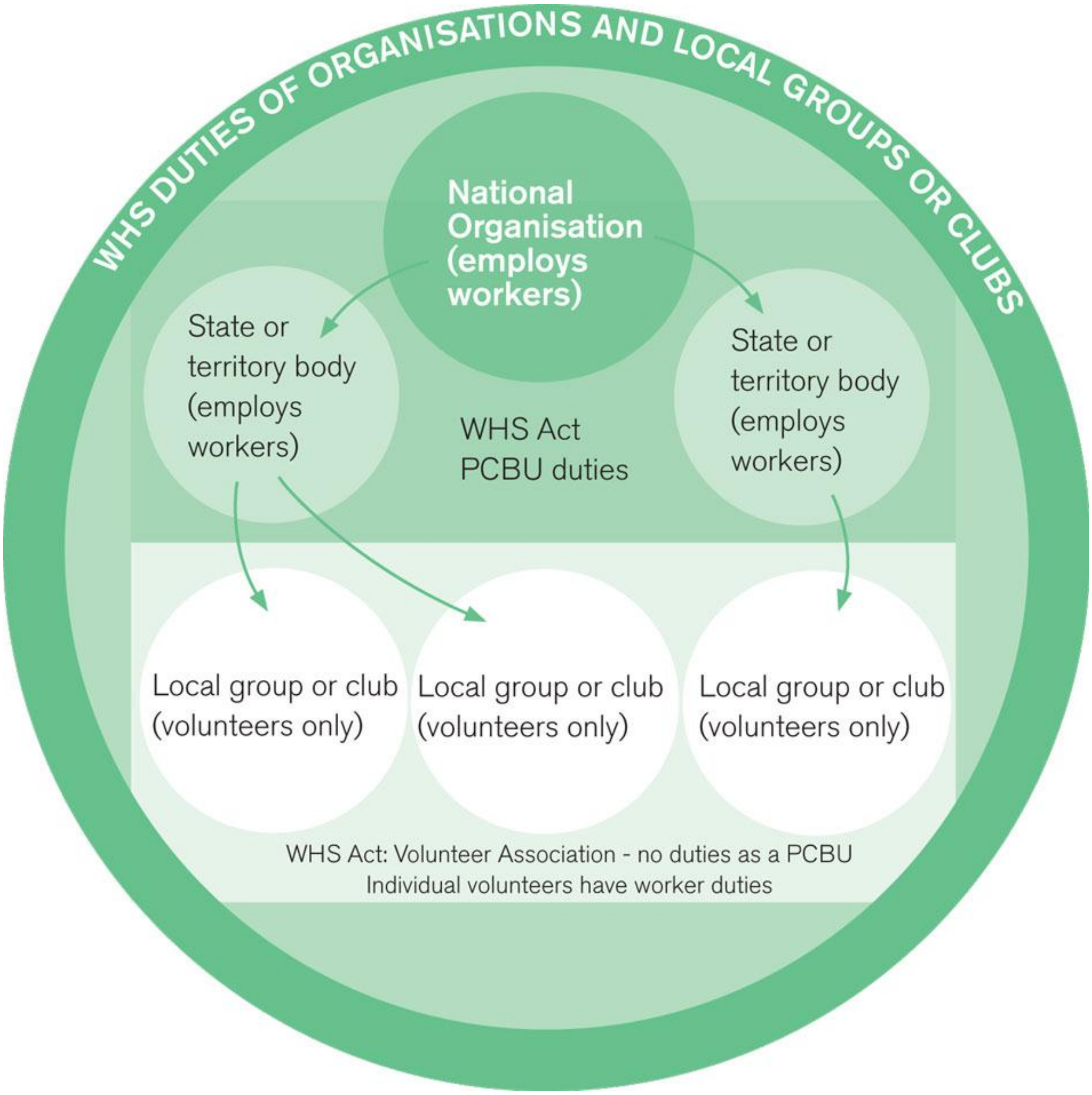

WHS अधिनियम के तहत इस बात की आवश्यकता है कि जहाँ एक से अधिक व्यक्ति, इस मामले में एक से अधिक PCBU, के ऊपर एक ही मुद्दे के लिए कर्तव्य मौजूद होते हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति मामले के लिए जिम्मेदारी को बरकरार रखता है और उसे उस सीमा तक कर्तव्य का निर्वाह करना होता है जिस सीमा तक वह इस मामले को प्रभावित और नियंत्रित कर सके।

इन स्थितियों में हरेक कर्तव्य-धारक को यथोचित साध्य सीमा तक उस मामले से संबधित अन्य सभी कर्तव्य-धारकों के साथ परामर्श, सहयोग और समन्वय की गतिविधियाँ करनी चाहिए।

आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप एक PCBU के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे/रही हैं, भले ही दूसरों का भी ऐसा ही करने का कर्तव्य हो। यह ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कर्तव्य का पालन आवश्यक कार्यवाही खुद करके ही करें। आप यह सुनिश्चित और जाँच करके भी अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते/सकती हैं कि कोई अन्य व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है।

कार्य में शामिल अन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत, सहयोग और गतिविधियों का समन्वय करके खतरों का नियंत्रण करने की सँभावना और अधिक बढ़ सकती है और इससे प्रत्येक कर्तव्य-धारक को अपने कर्तव्य का अनुपालन करने में मदद मिल सकती है। इसके द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों की दक्षता में सुधार भी लाया जा सकता है।

चूँकि स्थानीय समूह या क्लब स्तर पर स्वयंसेवक राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर PCBU द्वारा कवर किए गए कर्मी होते हैं, इसलिए WHS अधिनियम के तहत उनके भी कर्तव्य होते हैं।

WHS कानून और कार्य

WHS कानूनों के तहत केवल *कार्य* की गतिविधियों को ही कवर किया जाता है। जो गतिविधियाँ केवल घरेलू, सामाजिक, मनोरंजनात्मक या निजी प्रकृति की होती हैं, वे इसमें शामिल नहीं होती हैं। किसी गतिविधि को कार्य माना जाए या नहीं, यह विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है। निम्नलिखित मापदंड यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि कोई गतिविधि WHS अधिनियम के तहत *कार्य* है या नहीं:

- गतिविधि में शारीरिक या मानसिक प्रयास अथवा किसी और व्यक्ति या खुद के लिए (स्वरोजगार की स्थिति में) लाभ के लिए विशेष कुशलताओं का प्रयोग किया जाता है, चाहे यह लाभ या भुगतान के लिए हो या नहीं
- जिन गतिविधियों में आमतौर पर किसी को भुगतान किया जाता है, उन्हें कार्य माना जा सकता है
- जो गतिविधियाँ एक सतत प्रक्रिया या परियोजना का हिस्सा हैं, यदि उनमें से कुछ गतिविधियों के लिए भुगतान किया जाता है, तो उन्हें कार्य माना जा सकता है
- यदि किसी गतिविधि को करते समय कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रबंधित या नियंत्रित करता है, तो उस गतिविधि के कार्य होने की सँभावना हो सकती है
- औपचारिक, संरचित या जटिल व्यवस्थाओं को तदर्थ या असंगठित गतिविधियों की तुलना में कार्य माना जा सकता है।

भले ही इन मानदंडों में से एक या एक से अधिक मानदंड अनुपस्थित या न्यूनतम हों, फिर भी गतिविधि को कार्य माना जा सकता है।

- जिन गतिविधियों को काम नहीं माना जाता है, उनके उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- स्वयंसेवक नेता के रूप में बच्चों के साथ टैग के खेल का संचालन करना
- बच्चों के एक समूह को सुरक्षित रूप से शिविर में आग जलाने के लिए प्रशिक्षण देना, या
- सप्ताहांत में युवा लोगों के एक समूह को बुश वॉक पर ले जाना।

जिन गतिविधियों को कार्य माना जा सकता है, उनमें शामिल हैं:

- किसी संगठन को अपना काम पूरा करने के लिए ज़रूरी चीजों का रख-रखाव करना, उदाहरण के लिए एक स्वयंसेवक समूह की मुलाकात के स्थल वाले एक हॉल का रख-रखाव करना
- ऐसी गतिविधियाँ जिसके लिए सामान्यत: लोगों को भुगतान किया जाता है लेकिन आपके संगठन के लिए उन्हें एक स्वयंसेवक द्वारा किया जाता है, उदाहरण के लिए, सेवार्थियों को समय-नियुक्तियों के लिए गाड़ी में ले जाना

WHS अधिनियम के तहत क्या *'कार्य'* है और क्या *'कार्य'* नहीं है, इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया Safe Work Australia की Interpretive Guideline: The meaning of 'person conducting a business or undertaking' देखें।

स्वयंसेवक

WHS कानून के तहत वह व्यक्ति एक स्वयंसेवक होता है जो भुगतान या वित्तीय पारितोषिक के बिना किसी संगठन के लिए काम करता है (लेकिन वह आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च प्राप्त कर सकता है)। कानून स्वयंसेवकों को कर्मी भी मानता है। इसका मतलब है कि संगठन को अपने स्वयंसेवकों के लिए वैसी ही सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जैसी सुरक्षा वह अपने वेतनीय कर्मियों को प्रदान करता है।

एक कर्मी के रूप में स्वयंसेवकों के WHS अधिनियम के तहत कर्तव्य होते हैं (अध्याय 4 देखें)। WHS अधिनियम के तहत एक स्वयंसेवक किसी व्यापार या उपक्रम का अधिकारी हो सकता है और उसके लिए कर्तव्य हो सकते हैं (अध्याय 5 देखें)।

3 आपके संगठन को क्या करने की आवश्यकता है?

यदि आपके संगठन के लिए WHS कानून लागू होते हैं, तो उसे यथोचित साध्य रूप से स्वयंसेवकों सहित अपने सभी कर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। इसका मतलब है कि संगठन को स्वयंसेवकों के लिए वेतनीय कर्मियों के समान ही सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह सुरक्षा कार्यस्थल में स्वयंसेवक सहित सभी कर्मियों की शारीरिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को कवर करती है।

किसी संगठन का यह प्राथमिक कर्तव्य *'जितना यथोचित साध्य हो सके'* द्वारा विशेषीकृत होता है। इसका अर्थ यह है कि संगठन को इस बात की गारंटी नहीं देनी होती है कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी यथोचित किया जा सकता है, वह किया जाना चाहिए। यदि आपके संगठन का सँचालन स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है, तो इस कारक को इस बात का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा कि किसी परिस्थिति में संगठन के लिए क्या यथोचित व्यावहारिक हो सकता है।

स्वयंसेवकों सहित अपने अन्य कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए संगठन को क्या करने की आवश्यकता होती है, यह निर्धारित करने के लिए जिन अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वे हैं:

- संगठन उपक्रम का प्रकार
- संगठन किस प्रकार का कार्य कर रहा है
- उस काम के साथ जुड़े खतरे की प्रकृति और चोट या बीमारी होने की संभावना
- उन खतरों का उन्मूलन करने या उन्हें कम से कम बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, और
- जहाँ यह कार्य किया जाता है, वहाँ का स्थान या पर्यावरण।

संगठन के प्राथमिक कर्तव्य में जितना यथोचित व्यावाहरिक हो, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना शामिल है:

- स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे के बिना कार्य के एक वातावरण का प्रावधान और रख-रखाव
- सुरक्षित संयंत्र और संरचनाओं तथा कार्य के सुरक्षित तंत्रों का प्रावधान और रखरखाव
- संयंत्र, संरचनाओं और पदार्थों का सुरक्षित उपयोग, हैंडलिंग और भंडारण
- स्वयंसेवकों सहित कर्मियों के लिए कार्य पर कल्याण के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान, (जैसेकि शौचालय, प्राथमिक उपचार की सुविधा)
- अपने कार्य से उत्पन्न स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरों से सभी व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए आवश्यक जानकारी, प्रशिक्षण और शिक्षा या पर्यवेक्षण का प्रावधान।

स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरों का प्रबंधन

एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल भाग्य या अटकलबाजी से नहीं बनता है। आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपके कार्यस्थल पर क्या गलत हो सकता है और इसका परिणाम क्या हो सकता है। फिर आपको अपनी सक्षमता के तहत वह सभी कुछ करना चाहिए – जितना कि यथोचित साध्य हो – जिससे कि आपके संगठन के कार्य करते समय उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे का उन्मूलन किया जा सके या उसे कम से कम बनाया जा सके।

स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरों का उन्मूलन करने या उन्हें कम से कम करने की प्रक्रिया को खतरा प्रबंधन कहा जाता है और इसमें चार चरण शामिल होते हैं:

1. *खतरों की पहचान करना* – यह पता लगाना कि किससे नुकसान हो सकता है

2. *यदि आवश्यक हो तो खतरों का मूल्यांकन करना* – खतरे के कारण होने वाले नुकसान की प्रकृति को समझना और इस बात का पता लगाना कि नुकसान कितना गंभीर हो सकता है और उसके होने की संभावना क्या है

3. *खतरों का नियंत्रण करना* – परिस्थितियों के तहत यथोचित साध्य नियंत्रण के सबसे प्रभावी उपाय लागू करना, और

4. *नियंत्रण के उपायों की समीक्षा करना* – जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियोजित ढंग से काम कर रहे हैं ।

और अधिक जानकारी के लिए Code of Practice: How to Manage Work Health and Safety Risks देखें।

स्वयंसेवकों को सूचना, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना

स्वयंसेवकों को सुरक्षित रूप से अपने काम को पूरा करने के लिए जानकारी, प्रशिक्षण, शिक्षा या पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और जानकारी अपने स्वयंसेवकों के काम के प्रकार और काम करने के स्थान के अनुरूप होनी चाहिए।

स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में बात करना

WHS अधिनियम के तहत यह आवश्यक है कि संगठन यथोचित साध्य रूप से स्वयंसेवकों व कर्मियों के साथ उनको प्रभावित करने वाले कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा मामलों के बारे में बात करें।

अपने स्वयंसेवकों और अन्य कर्मियों से बात करना यह सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा तरीका है कि वे अपने कार्यों का निर्वाह करते समय सामने आने वाले जोखिम की पहचान और खतरों के आकलन और नियंत्रण में योगदान देते हैं।

परामर्श का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वयंसेवकों को सुरक्षित रूप से उनके काम करने के तरीके के बारे में विचारों को प्रदान करने का अवसर दिया जाता है। कार्यस्थल में सुरक्षा के बारे में निर्णय लेते समय संगठन को स्वयंसेवकों के विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में विचार-विमर्श विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है - कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में बात करने के लिए कोई 'एक सही रास्ता' नहीं है। आपका संगठन यह कैसे करता है, यह निम्नलिखित प्रकार के कारकों के ऊपर निर्भर करता है:

- संगठन का प्रकार और आकार
- किस तरह का कार्य किया जाता है, और
- स्वयंसेवकों सहित कर्मियों की वर्तमान कार्य-नियोजन व्यवस्था।

सही परामर्शी व्यवस्था ढूँढना

कुछ कार्यस्थलों में कर्मियों के भिन्न-भिन्न प्रकार और संगठन के भीतर भिन्न-भिन्न कार्यस्थितियों के लिए परामर्श की व्यवस्थाओं के एक सम्मिश्रण की ज़रूरत पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि संगठन में बहुत से पूर्णकालिक कर्मी काम करते हैं, तो एक स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति को शामिल करने वाली संरचित व्यवस्था उपयुक्त हो सकती है। कोई संगठन विशिष्ट कार्यों के लिए ठेकेदारों, भाड़े के कर्मियों या स्वयंसेवकों को काम पर रख सकता है। इन स्थितियों में 'टूलबॉक्स टॉक्स' (कार्य के लिए संगत विशिष्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा विषयों पर छोटी-छोटी चर्चाएँ) परामर्श करने के लिए सबसे अधिक व्यावहारिक तरीका हो सकता है।

हो सकता है कि आपके संगठन में पहले से ही कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में स्वयंसेवकों व कर्मियों से बात करने के तरीके स्थापित हों। यदि आपके संगठन के स्वयंसेवक व कर्मी इस व्यवस्था से खुश हैं, तो इसे WHS अधिनियम के तहत जारी रखा जा सकता है । आपका संगठन अपने स्वयंसेवकों के साथ जिन तरीकों से परामर्श कर सकता है, उनमें शामिल हैं:

- कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में समाचार, सूचना और अद्यतन क्रिया-कलापों को उजागर करने वाले नियमित न्यूज़लेटर्स को मेल या ईमेल के माध्यम से भेजना
- नोटिस बोर्ड या वेबसाइटों के स्वयंसेवक खण्डों को नियमित रूप से सूचना के लिए अद्यतन करना, जिसमें संगठनों की नवीनतम सुरक्षित कार्य नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी शामिल हो
- स्वयंसेवकों और कर्मियों के लिए एक 'सुझाव' ईमेल बॉक्स बनाए रखना, जिससे कि आप सुरक्षित रूप से कार्य करने के तरीकों और अन्य मामलों के बारे में सुझाव दे सकें
- स्वयंसेवक जो कार्य करते हैं, तथा उसे सबसे सुरक्षित तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करना
- वर्तमान में किए जाने वाले कार्य से प्रासंगिक विशिष्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा के विषयों पर चर्चा करने के लिए संक्षिप्त 'टूलबॉक्स टॉक्स' का आयोजन करना, और
- यदि कर्मी अनुरोध करें तो स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य-समूहों के साथ संबंध बनाना।

यदि आपका संगठन पहले से ही कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में कर्मियों और स्वयंसेवकों के साथ परामर्श करता है, और सभी इस बात से सहमत हैं कि यह अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो यह बहुत अच्छा है! आपके संगठन को इसी तरह परामर्श करते रहना चाहिए।

स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधि (एचएसआर)

कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा मामलों के संबंध में कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक रास्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधि (एचएसआर) है।

एचएसआर की नियुक्ति अनिवार्य नहीं होती है, और कोई एचएसआर प्रशिक्षण करने के लिए बाध्य नहीं होता है। किसी असुरक्षित कार्य को समाप्त करने के लिए निर्देश देने और अनंतिम सुधार नोटिस (पिन) [Provisional Improvement Notices (PIN)] जारी करने के अलावा एक अप्रशिक्षित एचएसआर अधिकाँश शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

यदि आपके वेतनीय कर्मियों या स्वयंसेवकों में से एक या अधिक कर्मी या स्वयंसेवक अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा मामलों का प्रतिनिधित्व करवाना चाहते हों, तो आपके संगठन को एक एचएसआर के चुनाव की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कर्मियों के लिए सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट कार्य-समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एचएसआर चुना जाना चाहिए। एचएसआर को निर्वाचित किए जाने से पहले कार्य-समूह निर्धारित किए जाने चाहिए। यदि एक समझौते पर नहीं पहुँचा जा सकता है, तो कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा नियामक के शामिल होने का विकल्प भी मौजूद होता है। नियामक यह निर्धारित कर सकता है कि एचएसआर का होना उचित है या नहीं।

स्वास्थ्य और सुरक्षा समितियाँ (एचएससी)

स्वास्थ्य और सुरक्षा समितियाँ (एचएससी) बड़े संगठनों के लिए परामर्श की सुविधा प्रदान करने के लिए एक और तरीका हैं। एचएससी अनिवार्य नहीं होती हैं लेकिन एक एचएसआर या पांच या इससे अधिक कर्मियों या स्वयंसेवकों द्वारा इसके लिए एक अनुरोध करने के दो महीनों के भीतर एचएससी की स्थापना की जानी चाहिए। संगठन कर्मियों के अनुरोध किए बिना भी एक एचएससी की स्थापना कर सकता है।

एचएससी संगठन की स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं के विकास में सहायता कर सकती हैं।

आपको अपने स्वयंसेवक कर्मियों को यह भी बताना चाहिए कि अगर उनके स्वयंसेवा कार्य करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या करना चाहिए और किससे संपर्क करना चाहिए। यदि स्वयंसेवक किसी ऐसे स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे

को नोट करते हैं जिसे सुधारने की ज़रूरत है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि इस मुद्दे को किसके समक्ष उठाया जाना चाहिए।

परामर्श के बारे में और अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित देखें:

- कार्य-संहिता: *Work Health and Safety; Consultation, Cooperation and Coordination*
- Worker Representation and Participation Guide.

गंभीर घटनाओं की सूचना देना

आपके संगठन के लिए यह आवश्यक है कि यदि संगठन के कार्य के परिणामस्वरूप कोई सूचित करने योग्य घटनाएं घटित होती हैं, तो उसे जितनी जल्दी हो सके अपने राज्य या राज्य-क्षेत्र के कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा नियामक को इसके बारे में सूचित करना ज़रूरी होता है।

एक सूचना देने योग्य घटना संगठन के कार्य करने से संबंधित एक गंभीर घटना होती है जिसमें निम्नलिखित शामिल होता है:

- किसी व्यक्ति की मृत्यु होना
- किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगना या बीमारी होना, या
- कोई खतरनाक दुर्घटना होना।

यह निर्धारण करने के लिए कि किस तरह की घटना की सूचना दी जानी चाहिए, मॉडल WHS अधिनियम में 'गंभीर चोट या बीमारी' और 'खतरनाक घटना' को परिभाषित किया गया है।

कोई गंभीर चोट या बीमारी ऐसी बात होती है जिससे किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यक होता है:

- किसी पदार्थ के संपर्क में आने के 48 घंटे के भीतर चिकित्सीय उपचार
- अस्पताल में एक इन-पेशियन्ट के रूप में तत्काल उपचार, या
- किसी गंभीर चोट या बीमारी के लिए तत्काल उपचार, जैसेकि सिर पर एक गंभीर चोट लगना, गंभीर रूप से जलना या रीढ़ की हड्डी में चोट लगना और मॉडल WHS अधिनियम में सूचीबद्ध अन्य अनेकानेक चोटें लगना।

महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही किसी व्यक्ति को वास्तव में इस परिभाषा में संदर्भित उपचार प्राप्त न हुआ हो, लेकिन बस चोट या बीमारी को ही यथोचित उपचार-योग्य माना जा सकता है।

एक खतरनाक घटना कार्यस्थल में होनी वाली एक ऐसी घटना होती है जो किसी कर्मी या किसी अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है, जो एक तत्काल या आसन्न खतरे के सामने होने के कारण पैदा होता हो। इन खतरों में अनियंत्रित तरीके से बचकर निकलना, किसी पदार्थ का बहाव या रिसाव होना, बिजली का झटका लगना, ऊंचाई से गिरना या किसी ढांचे का ढहना शामिल हैं।

यदि कोई रिपोर्ट करने योग्य घटना घटित होती है, तो यह कार्यस्थल के प्रबंधन या नियंत्रण करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि यथोचित साध्य रूप से उस स्थल में तब तक फेर-बदल न की जाए जब तक कि वहाँ एक निरीक्षक न पहुँच जाए या अन्यथा इसके लिए निर्देश न दे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका संगठन इस कर्तव्य का पालन करता है, आप अपने स्वयंसेवक कर्मियों के लिए यह आवश्यक बना सकते हैं कि घटित होने वाली घटनाओं की सूचना तुरंत आपके संगठन को दी जाए। हालाँकि केवल गंभीर चोट या बीमारी का कारण बनने वाली घटनाओं को दर्ज करने योग्य माना जाएगा, लेकिन किन्हीं भी अन्य घटनाओं के

बारे में बताए जाने से WHS अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आपके संगठन को मदद मिल सकती है। हो सकता है कि आपका संगठन घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक नीति या प्रक्रिया बनाने और लागू करने का कदम उठाए। आपके संगठन के कार्य से उत्पन्न हो सकने वाली कम गंभीर घटनाओं के बारे में स्वयंसेवकों के साथ बात करने से भविष्य में हो सकने वाली अधिक गंभीर घटनाओं को रोकने में मदद भी मिल सकती है।

मामलों को हल करना

WHS अधिनियम कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के उन मामलों के समाधान के लिए एक प्रक्रिया की रूपरेखा उपलब्ध कराता है, जो निम्नलिखित के कारण खड़े हो सकते हैं:

- कार्यस्थल पर किया जाने वाला कार्य, या
- संगठन का आचरण।

मामला समाधान प्रक्रिया को तब लागू किया जाता है जब एक कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले को उठाया जाता है लेकिन इसे किसी भी पार्टी की संतुष्टि की सीमा तक हल नहीं किया जाता है। इस मामले में शामिल सभी पार्टियों को इसके एक प्रभावी, सामयिक और अंतिम समाधान तक पहुँचने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए।

यदि कोई कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा का मामला इसमें शामिल सभी पार्टियों के साथ बात करके हल नहीं किया जा सकता है, तो फिर आपके संगठन को WHS कानूनों के तहत स्थापित मामला समाधान प्रक्रिया का पालन करने की ज़रूरत होती है।

मामला समाधान और WHS कानूनों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अपने कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा नियामक से संपर्क करें।

4 आपके स्वयंसेवकों को क्या करने की आवश्यकता है?

स्वयंसेवकों के लिए भी स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं:

- अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का उचित ध्यान रखना
- यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान रखना कि वे दूसरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करते हैं, उदाहरण के लिए, अन्य स्वयंसेवक, जनता के सदस्य या सेवार्थी जिनकी वे सहायता कर रहे हों
- आपके संगठन द्वारा उनको दिए गए किसी यथोचित निर्देश का पालन करना, जितना कि वे यथोचित रूप से करने में सक्षम हों, और
- आपके संगठन द्वारा उनको दी गई किसी यथोचित नीति या प्रक्रिया के साथ सहयोग करना।

मूलतः, यथोचित देखभाल क्या है और कर्मियों से क्या उम्मीद की जाती है, यह वह कार्य होता है जो एक उचित व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार की चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी परिस्थिति में करेगा:

- उसका ज्ञान
- उसकी भूमिका
- उसकी कुशलताएँ और उसके लिए उपलब्ध संसाधन
- उसकी उपाधियाँ
- उसके पास क्या जानकारी है, और
- इन परिस्थितियों में कार्य न करने से स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पड़ने वाले परिणाम।

स्वयंसेवकों पर मुकदमा चलाए जाने की संभावना नहीं होती है

यदि आपके स्वयंसेवक आपके संगठन के लिए काम करते समय पिछले अनुभाग में सूचीबद्ध क्रिया-कलाप करते हैं, तो उनपर WHS अधिनियम के तहत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है या उनपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

कुछ न्याय-क्षेत्रों में दो से अधिक दशकों के लिए स्वयंसेवकों को कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के कर्तव्य दिए गए हैं, लेकिन उन कानूनों के तहत स्वयंसेवकों के अभियोजन के बारे में कोई भी सूचना नहीं मिली है। इसी तरह से नए WHS कानूनों के तहत किसी भी स्वयंसेवक का अभियोजन नहीं किया गया है।

अतीत में वेतनीय कर्मियों के ऊपर अभियोजन लगाने की घटनाएँ दुर्लभ हैं और ऐसा मात्र उन गंभीर घटनाओं के संबंध में ही किया जाता था जहाँ बहुत अधिक लापरवाही या बेपरवाही बरती गई थी।

इस बात की उम्मीद की जाती है कि कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा नियामक वेतनीय कर्मियों और स्वयंसेवकों के अभियोजन के संबंध में नए WHS कानूनों के तहत वही दृष्टिकोण रखेंगे और अभियोजन अतीत के समान ही बहुत कम होंगे।

5 अधिकारियों के कर्तव्य

WHS अधिनियम के तहत किसी संगठन का अधिकारी आवश्यक रूप से कोई ऐसा स्वयंसेवक या अन्य कर्मी नहीं होता है जिसके पदनाम में 'अधिकारी' हो, उदाहरण के लिए, प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी।

स्वयंसेवक संगठन के बोर्ड में बैठ सकते हैं या ऐसी किसी अन्य भूमिका में भाग ले सकते हैं, जिसमें वे उस पूरे संगठन या उस्के एक बड़े अंश को प्रभावित करने वाले निर्णय लेते हैं, या निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं जिसमें वे स्वयंसेवा कार्य करते हैं। उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में संगठन की वित्तीय परिस्थिति को काफी हद तक प्रभावित करने की क्षमता हो सकती है। कोई व्यक्ति WHS अधिनियम के तहत एक 'अधिकारी' केवल तभी होता है जब वह इस तरह के निर्णय लेता है, या निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता है।

अधिकारियों के कर्तव्य

संगठन के लिसी भी अधिकारी को, चाहे वह स्वयंसेवक या वेतनीय हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल प्रयास करना चाहिए कि संगठन अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों का अनुपालन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संगठन में उचित कार्य-तंत्रों की व्यवस्था है और उन्हें संगठन के भीतर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन की सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए।

एक अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का अनुपालन करने का मतलब यह भी है कि वह नीचे दिये गए उचित कदम उठाए:

- कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा मामलों के बारे में लगातार जानकारी बढ़ाए और स्वयं को अद्यतन रखे
- संगठन जिस प्रकार का कार्य करता है, उसकी प्रकृति की समझ रखे और उन खतरों के प्रति जागरुकता रखे जिनका सामना संगठन का काम करते समय कर्मियों और स्वयंसेवियों को करना पड़ सकता है
- यह सुनिश्चित और सत्यापित करे कि संगठन के पास स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरों का उन्मूलन करने या उन्हें कम से कम करने के लिए उपयोग करने हेतु उपयुक्त संसाधन और प्रक्रियाएँ हैं, और वह उनका उपयोग करता है
- यह सुनिश्चित और सत्यापित करे कि संगठन के पास कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में संचार और विचार करने के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित हैं और वह उस जानकारी के प्रति प्रत्युत्तर देता है, और
- यह सुनिश्चित और सत्यापित करे कि संगठन के पास WHS कानून के तहत किन्हीं भी कर्तव्यों और आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए प्रक्रियाएँ हैं और वह उन्हें कार्यान्वित करता है।

एक स्वयंसेवक अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में और अधिक जानकारी *स्वयंसेवकों के कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देशिका* में दी गई है।

संगठन ऐसी कुछ बातें हैं कर सकता है जिससे कि स्वयंसेवक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने में मदद मिल सके और इसी समय यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि संगठन अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों का पालन कर रहा है। उदाहरण के लिए, संगठन निम्नलिखित कर सकता है:

- बोर्ड की बैठकों के एजेंडा में कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण एजेंडा बनाना
- सुरक्षित कार्य-नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और आकलन के लिए एक प्रक्रिया लागू करना
- अधिकारियों को संगठन में कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में सवाल पूछने के लिए किसी विधि या व्यक्ति से संपर्क उपलब्ध कराना, उदाहरण के लिए कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधक या मानव संसाधन प्रबंधक
- WHS कानूनों और स्वयंसेवकों और कर्मियों द्वारा किए जाने वाले संगठन के काम के बारे में अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण या जानकारी प्रदान करना।

स्वयंसेवी अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है

WHS कानून के तहत किसी स्वयंसेवक अधिकारी पर अपने अधिकारी कर्तव्यों का पालन करने में नाकाम रहने के कारण मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। स्वयंसेवक अधिकारियों के लिए यह उन्मुक्ति इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि अधिकारी स्तर पर स्वैच्छिक भागीदारी को हतोत्साहन न प्राप्त हो। लेकिन यदि कोई स्वयंसेवक अधिकारी एक कर्मी के रूप में उचित देखभाल नहीं करता/करती है, तो एक कर्मी की क्षमता के रूप में उसपर मुकदमा चलाया जा सकता है (अध्याय 4 देखें)।

ऐसे किसी अधिकारी पर, जो स्वयंसेवक न हो, WHS अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने में नाकाम रहने के कारण मुकदमा चलाया जा सकता है।

6 घर से कार्य करने वाले स्वयंसेवक

आपका संगठन ऐसे स्वयंसेवकों को काम पर रख सकता है जो अपने घर से आपके लिए काम करते हों। इस परिस्थिति में भी आपके संगठन को अपने स्वयंसेवकों के साथ सुरक्षित रूप से काम करने के बारे में बात करने की ज़रूरत है।

आपके संगठन के लिए अपने ही घर से काम करने वाले जिन स्वयंसेवकों को आप काम पर रखते हैं, उन्हें अपने स्वयं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करने की आवश्यकता होती है, और उन्हें यह भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत होती है कि वे आपके संगठन के लिए जो कार्य करते हैं, वह अन्य लोगों को प्रभावित न करे। उन्हें आपके संगठन द्वारा दिए गए किन्हीं उचित निर्देशों का पालन करने और कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित संगठन की उचित नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ सहयोग करने की ज़रूरत होती है।

एक कार्यस्थल के रूप में निजी घर

चूँकि आपका संगठन निश्चित रूप से स्वयंसेवकों के कार्य करने के स्थल (उनके घर) का स्वामी नहीं होता है व उसका नियंत्रण या प्रबंधन नहीं करता है, इसलिए इसका मतलब यह है कि आपके संगठन के पास कार्य करते समय स्वयंसेवक का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक सीमित क्षमता ही होती है। फिर भी आपको अपने स्वयंसेवकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन आपके संगठन के लिए जो यथोचित साध्य है, वह उस स्थिति से भिन्न होगा जबकि आपके स्वयंसेवक ऐसे कार्यस्थल में काम करते हों जो आपके नियंत्रण में है ।

उदाहरण के लिए इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए आपका संगठन अपने घर से काम करने वाले स्वयंसेवकों को एक आरामदेह वर्कस्टेशन स्थापित करने के बारे में, या जो काम उन्हें सौंपा गया है वह उसे सुरक्षित तरीके से कैसे कर सकते हैं – इस बारे में जानकारी या सलाह दे सकता है। आपका संगठन यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि स्वयंसेवकों को जो काम दिया गया है, उसे करने के लिए उनके पास सभी आवश्यक उपकरण हैं। इसी प्रकार यदि कोई स्वयंसेवक किसी अन्य व्यक्ति के निजी घर में काम करता है, तो संगठन अपने स्वयं के घरों से कार्य करने वाले स्वयंसेवकों से उनके घरों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है जिससे कि वह पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर सके। इससे स्वयंसेवक के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रासंगिक खतरों को संबोधित करने के लिए उपलब्ध कराए गए निर्देश स्वयंसेवक के कार्य करते समय उसकी परिस्थिति के लिए उचित और व्यावहारिक बन पाते हैं।

अन्य लोगों के घरों में स्वयंसेवा कार्य करना

आपका संगठन अन्य लोगों के घरों में स्वयंसेवा कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को संलग्न कर सकता है। इस स्थिति में आपके संगठन को इन स्वयंसेवकों के लिए किसी घर में जाने से पहले उस घर के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। संगठन उस घर में स्वयंसेवकों के लिए विशिष्ट खतरों के बारे में बता सकता है, उदाहरण के लिए उनके आँगन में कोई कुत्ता हो सकता है या सीढ़ियाँ विशेष रूप से खड़ी हो सकती हैं।

यदि स्वयंसेवक बहुत से घरों में जाते हैं, तो आपके संगठन के लिए प्रत्येक घर में विशिष्ट खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना यथोचित साध्य नहीं हो सकता है। लेकिन आपके संगठन को अपने स्वयंसेवकों को ऐसे खतरों के प्रकार के बारे में जानकारी देनी चाहिए जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता है।

आपके संगठन को हमेशा आपके स्वयंसेवकों को ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करनी चाहिए जो उनके लिए स्वयंसेवा कार्य सुरक्षित रूप से करने के लिए आवश्यक है।

यह आवश्यक नहीं है कि किसी संगठन के लिए कार्य करते समय एक घर में एक समय में दो स्वयंसेवक कार्य करें। लेकिन आपका संगठन आपके स्वयंसेवकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के एक तरीके के रूप में ऐसा करने के लिए कह सकता है।

7 आपातकालीन सेवा स्वयंसेवक संगठन

आपातकालीन सेवा संगठनों के हमेशा ये कर्तव्य होते हैं कि वे अपने कार्यस्थल में अपने कर्मियों और अन्य लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल करें। WHS अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि संगठनों के कर्तव्य स्वयंसेवकों सहित सभी कर्मियों के प्रति होते हैं। स्वयंसेवक उन्हीं सुरक्षाओं के हकदार होते हैं जो वेतनीय कर्मियों को प्राप्त होती हैं।

WHS कानून आपातकालीन सेवा संगठनों की घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है, जब तक किवे अपने स्वयंसेवकों सहित कर्मियों और अन्य लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को यथोचित साध्य रूप से सुनिश्चित करते रहें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका आपातकालीन सेवा संगठन अपने कर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी दे। उसे बस यथोचित रूप से यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि स्वयंसेवकों व कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, वह उसे करे।

आपातकालीन सेवा संगठनों के कर्तव्य

WHS कानून आपातकालीन सेवा संगठनों के साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा कि वे किसी भी अन्य संगठन या स्वयंसेवक संघ के साथ करते हैं। किसी भी संगठन का प्राथमिक कर्तव्य यथोचित साध्य रूप से यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके कर्मियों और स्थानीय समूहों या क्लबों के स्वयंसेवकों व अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाया रखा जा सके। आपातकालीन सेवाओं व अन्य संगठनों का कार्यस्थलों का प्रबंधन और नियंत्रण करने का कर्तव्य बन पड़ता है। साथ ही किसी कार्यस्थल पर फिक्स्चर, फिटिंग या संयंत्र के प्रबंधन या नियंत्रण के लिए भी कर्तव्य बन पड़ता है।

आपातकालीन सेवा स्वयंसेवक और 'अधिकारी'

WHS अधिनियम के तहत किसी संगठन के अधिकारी का मतलब अपनी नौकरी के पदनाम में 'अधिकारी' शब्द का होना नहीं होता है, उदाहरण के लिए 'प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी', 'स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी' या प्रशासनिक अधिकारी।

स्वयंसेवकों सहित कुछ कर्मी किसी संगठन के बोर्ड में शामिल हो सकते हैं या किसी अन्य भूमिका में हो सकते हैं, जहाँ वे पूरे संगठन या उसके एक बड़े अंश को प्रभावित करने वाले निर्णय लेते हैं, या इन निर्णयों में भाग लेते हैं। वे जो भी निर्णय लेते हैं, उनमें संगठन की वित्तीय स्थिति को काफी हद तक प्रभावित करने की क्षमता हो सकती है। WHS अधिनियम के तहत यदि कोई स्वयंसेवक ऐसे निर्णय लेता है, या निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो केवल तभी उसे एक अधिकारी माना जा सकता है।

WHS अधिनियम के तहत अधिकारियों के यह कर्तव्य होते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि आपातकालीन सेवा संगठन अपने सभी कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के लिए उचित और मजबूत कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित करता है (अध्याय 5 देखें)।

क्या 'घटना नियंत्रक' एक अधिकारी होता है?

WHS अधिनियम के तहत किसी घटना नियंत्रक के एक अधिकारी होने की सँभावना कम ही होती है। हालाँकि घटना नियंत्रक विशेष प्रतिक्रिया कार्य-कलापों को निर्देशित कर सकते हैं, परंतु वे आम-तौर पर किसी संगठन के संपूर्ण या बड़े अंश को प्रभावित करने वाले या उस संगठन के सँचालन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते हैं, या ऐसे निर्णयों का निर्धारण करने में भाग नहीं लेते हैं।

WHS अधिनियम के तहत एक अधिकारी की भूमिका इस बात से निर्धारित होती है कि उसका संगठन के पूरे या एक बड़े अंश के लिए निर्णय लेने में भागीदारी का स्तर क्या है। यह एक विशिष्ट आपात स्थिति के प्रत्युत्तर में उठाई गई किसी भूमिका द्वारा निर्धारित नहीं होता है (अध्याय 5 देखें)।

अन्य आपातकालीन सेवा संगठनों की तरह एक ही घटना में शामिल होना

कभी-कभी एक से अधिक आपातकालीन सेवा संगठन एक ही घटना में भाग लेंगे। उदाहरण के लिए, एक कार दुर्घटना में स्वयंसेवक फायर ब्रिगेड, राज्य आपातकालीन सेवा और एम्बुलेंस सेवा द्वारा भाग लिया जा सकता है। चूँकि वे सभी PCBU या वेतनीय कर्मियों को काम पर रखने वाले संगठन हो सकते हैं, इसलिए उन सभी के WHS कानून के तहत कर्तव्य और दायित्व होते हैं। घटनास्थल पर प्रत्येक संगठन का यथोचित साध्य रूप से यह कर्तव्य होता है कि वह स्वयंसेवकों सहित अपने कर्मियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्हें यथोचित साध्य रूप से यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी गतिविधियाँ किसी अन्य के लिए अनावश्यक जोखिम प्रस्तुत नहीं करती हैं।

WHS अधिनियम के तहत प्रत्येक संगठन को अपने कर्तव्य को पूरा करने में मदद करने के लिए यथोचित साध्य रूप से गतिविधियों पर परामर्श, सहयोग और समन्वय करना चाहिए।

खतरा आकलन

आपातकालीन सेवा संगठनों के लिए किसी आपात स्थिति का प्रत्युत्तर देने से पहले कागज़ाती कार्यवाही करने के लिए रुकने और उसे पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

एक आपातकालीन सेवा संगठन इस बात पर विचार कर सकता है कि आपात स्थिति के दौरान इस बात का एक वास्तविक खतरा होता है कि लोग सहमत सुरक्षा प्रक्रियाओं और क्रियाविधियों को अनदेखा कर दें या बस भूल जाएँ। इस खतरे को कम से कम करने में मदद देने के लिए आपातकालीन सेवा संगठन घटना कमांडरों के लिए ध्यान देने योग्य बातों और किसी आपात स्थिति में पालन करने के लिए कदमों की याद दिलाने हेतु एक जाँचसूची विकसित कर सकते हैं। भले ही संगठन के कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, और आवश्यक आपातकालीन प्रतिक्रिया की तत्काल प्रकृति को देखते हुए सबसे प्रभावी क्या होगा – यह निर्धारित करने के लिए एक जाँचसूची आवश्यक न भी हो, फिर भी यह एक ऐसा विषय है जिसके लिए संगठन को स्वयंसेवकों सहित कर्मियों के साथ बातचीत के आधार पर विचार करने की ज़रूरत है।

8 धमकाना, उत्पीड़न और भेदभाव

कार्यस्थल में धमकाना

आपके संगठन की यह एक कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा जिम्मेदारी है कि वह न केवल आपके स्वयंसेवी कर्मियों के शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करे। इसमें यह शामिल है कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं, वह करें जिससे कि वे कार्यस्थल में धमकाने, उत्पीड़न और भेदभाव के शिकार न हों।

कार्यस्थल में धमकाने, उत्पीड़न और भेदभाव को रोकने की जिम्मेदारी WHS अधिनियम में एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण और कार्य की सुरक्षित व्यवस्था प्रदान करने के लिए कर्तव्य के रूप में मौजूद है.

स्वयंसेवक कर्मियों का यह सुनिश्चित करने के लिए भी एक कर्तव्य बन पड़ता है कि उनके कार्य अपने स्वयं के या कार्यस्थल में अन्य लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं हैं।

आपके संगठन को एक स्पष्ट संदेश भेजने की ज़रूरत है कि धमकाया जाना सहन नहीं किया जाएगा और स्वयंसेवक कर्मियों को यह जानकारी प्रदान करनी चाहिए कि अगर कार्यस्थल में उन्हें धमकाया जा रहा है तो वे किससे संपर्क कर सकते हैं।

WHS और भेदभाव

WHS अधिनियम में इसके लिए भी स्पष्ट रूप से प्रतिबंध है कि स्वयंसेवकों सहित कर्मियों द्वारा कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति चिंता का कोई मुद्दा खड़ा करने के कारण उनके साथ भेदभाव या पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाए। इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर आपराधिक दंड लगाए जा सकते हैं।

9 अन्य कानून

केवल WHS कानून ही ऐसे कानून नहीं हैं जिनके बारे में आपके संगठन को अवगत होना चाहिए। नीचे उन कानूनों में से कुछ कानूनों की एक रूपरेखा दी गई है, जिनके बारे में आपके संगठन को स्वयंसेवकों को संलग्न करते समय पता होना चाहिए। आपको इन कानूनों व अन्य कानूनों के बारे में प्रासंगिक सरकारी निकाय से आगे की जानकारी लेनी चाहिए।

भेदभाव विरोधी कानून

WHS कानूनों द्वारा भेदभाव से सुरक्षा के अलावा, राज्य, राज्य-क्षेत्र और राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) भेदभाव विरोधी कानून भी किसी व्यक्ति की विशेषताओं के कारण उसके प्रति भेदभाव करने से निषेध करते हैं। उदाहरण के लिए, कानून किसी व्यक्ति की जाति, लिंग, आयु, विकलांगता, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक विश्वास, माता या पिता होने की परिस्थिति या ट्रेड यूनियन गतिविधियों और साथ ही अन्य विशेषताओं के कारण भेदभाव करने का निषेध करते हैं।

Commonwealth Human Rights and Equal Opportunity Commission की वेबसाइट राष्ट्रमंडल भेदभाव विरोधी कानूनों और राज्य व राज्य-क्षेत्र भेदभाव विरोधी निकायों (State and Territory anti-discrimination bodies) की वेबसाइटों के लिंक के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

कर्मचारी क्षतिपूर्ति और बीमा कवर

आम-तौर पर स्वयंसेवकों को कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के कानूनों द्वारा कवर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपके संगठन के पास एक ऐसा बीमा हो जो अपने कर्मियों व स्वयंसेवकों को और स्वयंसेवा कार्य किए जाने के समय कार्य-कलापों को पर्याप्त रूप से कवर करता हो। इसका मतलब यह है कि इस बात की जाँच की जाए कि वर्तमान नीतियाँ, जैसेकि सार्वजनिक देयता नीतियाँ, स्वयंसेवकों को भी प्राप्त हों।

सबसे आम प्रकार के बीमा कवर हैं:

- सार्वजनिक देयता बीमा
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- निदेशकों और अधिकारियों के दायित्व
- व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा, और
- मोटर वाहन व्यापक बीमा।

Volunteering Australia वेबसाइट स्वयंसेवकों को कवर करने वाले सबसे आम प्रकार के बीमा के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

संवेदनशील सेवार्थियों के साथ कार्य करना

संवेदनशील सेवार्थियों के साथ काम करने वाले स्वयंसेवकों को काम में संलग्न करने वाले संगठनों का एक उन्नत देखभाल कर्तव्य होता है। इन संगठनों को उपयुक्त नीतियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित करनी चाहिए जोकि संदर्भ जाँच, प्रशिक्षण और प्रेरण, पर्यवेक्षण और स्वयंसेवकों और अन्य व्यक्तियों द्वारा चिंताओं को प्रकट करने के लिए संस्पष्ट प्रक्रियाओं जैसी बातों को कवर कर सकें।

कार्यस्थल संबंध कानून

कार्यस्थल संबंध कानून स्वयंसेवकों को कर्मी नहीं मानते हैं। स्वयंसेवकों और संगठनों के बीच की गई व्यवस्थाओं में एक वेतनीय रोजगार के संबंध पर प्रगति करने का इरादा शामिल नहीं होना चाहिए। स्वयंसेकों को कार्यस्थल संबंध कानून के तहत स्वयंसेवकों के रूप में केवल तभी संलग्न किया जा सकता है यदि वे बिना किसी भुगतान के संगठन के लिए काम

करने से सहमत हों। यह व्यवस्था स्वयंसेवक की अपनी मर्जी के आधार पर होनी चाहिए। इस संबंध में दबाव का कोई भी तत्व नहीं होना चाहिए।

एक व्यक्ति और एक संगठन के बीच की व्यवस्था एक स्वयंसेवक व्यवस्था है या नहीं, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। इनमें स्थिति का ब्यौरा, विशेष रूप से एक वेतनीय रोजगार संबंध बनाने का इरादा था या नहीं – यह कारक शामिल है। किसी अवैतनिक कार्य परीक्षण, कार्य अनुभव या अन्य प्रकार के कार्य को एक स्वैच्छिक व्यवस्था नहीं माना जाता है और नहीं माना जाना चाहिए।

रोजगार संबंधों को Fair Work Act 2009 या राज्य या राज्य-क्षेत्र औद्योगिक संबंध कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आप Fair Work Ombudsman वेबसाइट पर कार्यस्थल कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

व्यक्तिगत नागरिक दायित्व से संरक्षण परंतु आपराधिक दायित्व से संरक्षण नहीं

पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में ऐसे कानून मौजूद हैं जो स्वयंसेवकों को उनके स्वयंसेवा कार्य करने या उसमें विफल होने के परिणामस्वरूप नुकसान या क्षति होने की स्थिति में व्यक्तिगत नागरिक दायित्व से उनकी रक्षा करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आपके संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास अपने स्वयंसेवकों को इन उद्देश्यों के लिए कवर करने हेतु उचित बीमा है।

परंतु यदि स्वयंसेवक मादक-पदार्थों या एल्कोहल के प्रभाव के तहत या संगठन द्वारा अधिकृत गतिविधियों के दायरे से बाहर या उनके विपरीत कार्य करते हैं, तो ये कानून इस स्थिति में स्वयंसेवा कार्य करने या उसमें विफल होने के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान या क्षति के व्यक्तिगत नागरिक दायित्व से उसकी रक्षा नहीं करेंगे। ये कानून किसी स्वयंसेवक द्वारा भले विश्वास में कार्य करने की स्थिति के अलावा अन्य स्थिति में आपराधिक दायित्व से उसकी रक्षा भी नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, किसी आपात स्थिति का प्रत्युत्तर देने में सहायता करने के लिए संपत्ति को हानि पहुँचना जोकि उनके अनुसार आवश्यक था।

उदाहरण के लिए, यदि कोई स्वयंसेवक अपनी स्वयंसेवक भूमिका में गाड़ी चलाते समय किसी कार दुर्घटना से ग्रस्त होता है, तो इन कानूनों के तहत आम-तौर पर नुकसान से उत्पन्न कोई भी नागरिक दायित्व उस संगठन पर पड़ेगा जिसके लिए वह व्यक्ति स्वयंसेवा कार्य करता है। लेकिन यदि स्वयंसेवक कोई आपराधिक व्यवहार कर रहा था, जैसेकि बहुत तेजी से गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, तो वह क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

प्रत्येक न्याय-क्षेत्र में स्वयंसेवक संरक्षण कानून के बीच कुछ मतभेद हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों और राज्य-क्षेत्रों में स्वयंसेवक को ऐसी स्थिति में इन कानूनों से संरक्षण प्राप्त नहीं होगा जबकि किसी दायित्व के लिए स्वयंसेवक पर बीमा कानून लागू होते हैं, जैसेकि अनिवार्य तीसरी पार्टी द्वारा मोटर वाहन बीमा।

Volunteering Australia वेबसाइट स्वयंसेवकों के लिए बीमा पर और अधिक जानकारी प्रदान करती है या फिर अपने राज्य या राज्य-क्षेत्र के WorkCover प्राधिकरण से संपर्क करें।

10 स्वयंसेवक संगठनों के लिए जाँच-सूची

यदि आपका संगठन WHS कानूनों के तहत आता है, तो इस जाँचसूची को कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों का पालन करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक निर्देशिका के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक व्यापक सूची नहीं है और पालन करने के लिए अन्य कार्यवाही आवश्यक हो सकती है।

प्रश्न		**हाँ**	**नहीं**
यदि आप प्रश्न 1-7 का उत्तर 'नहीं' देते/देती हैं या आप अनिश्चित हैं, तो अपने कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों का पालन करने के लिए आपको सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।			
1	क्या आपके संगठन के पास सुरक्षित कार्य नीतियाँ, निर्देश और प्रक्रियाएँ हैं और क्या वह स्वयं को इनसे अद्यतन बनाए रखता है?	☐	☐
2	क्या आपका संगठन अपनी सुरक्षित कार्य नीतियों, निर्देशों और प्रक्रियाओं का अनुरूपण और वितरण करता है?	☐	☐
3	क्या आपका संगठन यह सुनिश्चित करता है कि उसके सभी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा और पर्यवेक्षण उपलब्ध है जिससे कि वे अपना काम सुरक्षित तरीके से कर सकें?	☐	☐
4	क्या आपका संगठन अपने वेतनीय कर्मियों के समान ही अपने स्वयंसेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है?	☐	☐
5	क्या आपका संगठन अपने स्वयंसेवकों के साथ उन्हें प्रभावित करने वाले कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों के बारे में परामर्श करता है?	☐	☐
6	क्या आपका संगठन अपने स्वयंसेवकों को कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले उठाने और कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के लिए सुझाव देने हेतु एक मार्ग प्रदान करता है?	☐	☐
7	क्या आपका संगठन स्वयंसेवकों को यह बताता है कि कुछ गलत हो जाने पर क्या करना चाहिए और किससे बात करनी चाहिए?	☐	☐

प्रश्न		हाँ	नहीं
अधिकारी के कर्तव्य (अध्याय 5) यदि आप प्रासंगिक प्रश्न 8-15 के लिए किसी भी प्रश्न का उत्तर 'नहीं' देते/देती हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका संगठन अपने कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों का पालन कर रहा है, आपको सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।			
8	क्या आपके संगठन ने अपने वेतनीय या स्वयंसेवक अधिकारियों की पहचान की है?	☐	☐
9	क्या आपके संगठन के सभी अधिकारियों को WHS अधिनियम के तहत अपने कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों के बारे में पता है?	☐	☐
10	क्या आपके संगठन के बोर्ड के सदस्य अपनी बैठकों में कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों, नीतियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षित कार्य प्रथाओं के बारे में बात करते हैं?	☐	☐
अपने स्वयं के या अन्य लोगों के घरों से काम कर रहे स्वयंसेवक (अध्याय 6)			
11	क्या आपका संगठन घर से काम करने वाले अपने स्वयंसेवकों को घर से काम करने के संबंध में निर्देश, सूचना और प्रक्रियाएँ प्रदान करता है?	☐	☐
12	क्या आपका संगठन किसी अन्य व्यक्ति के घर पर जाकर स्वयंसेवा कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को अन्य लोगों के घरों में उन खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है?	☐	☐
आपातकालीन सेवा स्वयंसेवक संगठन (अध्याय 7)			
13	क्या आपका आपातकालीन सेवा संगठन ऐसे अन्य आपातकालीन सेवा संगठनों के साथ परामर्श, सहयोग और समन्वय करता है, जो आपके संगठन के अनुरूप एक ही समय में एक ही घटना में भाग लेते हैं?	☐	☐

प्रश्न		हाँ	नहीं
14	क्या आपके आपातकालीन सेवा संगठन में सुरक्षित प्रथाएँ, नीतियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं जिन्हें किसी घटना का प्रत्युत्तर देने के लिए सक्रिय किया जा सकता है?	☐	☐
15	क्या आपके आपातकालीन सेवा संगठन को यह पता होता है कि WHS कानूनों के तहत उसके 'अधिकारी' कौन हैं?	☐	☐